प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 351/2022 दिनांक – 8/9/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7 A
   (ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (स) अधिनियम – ..... धाराये – .....
   (द) अन्य अधिनियम – भा.द.स. धाराये – .....120 बी.....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – .....142..... समय – .....4.30 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक – 17.05.2022 समय – .....
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.05.2022 समय –11.55 ए.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण पश्चिम 130 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– ग्राम पंचायत सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेंर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – श्री धर्मेन्द्र कुमार (ब) पिता/पति का नाम – श्री जनकराज सोनी
      (स) जन्म तिथि/वर्ष – 36 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
      (य) व्यवसाय – प्राईवेट व्यवसाय (र) पता – गौर का चौक, सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेंर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री हजारीमल मेघवाल ग्राम पोस्ट महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिवाना जिला बाडमेंर।
   2. श्री रणछोड कुमार पुत्र श्री खीमाराम जाति जीनगर उम्र 30 साल निवासी मोचियों का बास, सिवाना जिला बाडमेंर (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शून्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– .....
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
(एसयू) जोधपुर।

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने बाबत।

महोदय,

मुझ प्रार्थी धमेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर की और से निवेदन है कि ग्राम सिवाना में बालोतरा रोड पर मेरा प्लॉट आया हुआ हैं, जिसमें तीन दुकानो के निर्माण स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत सिवाना में आज 20 दिन पूर्व आवेदन किया था। उसके बाद में निर्माण स्वीकृति हेतु सरपंच श्री रामनिवास से मिला उसने कहा कि ग्राम सेवक से मिलो। मैं आज से 7 दिन पहले ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश से मिला उसने कहा कि सरपंच साहब ने कहा है कि बिना रूपये के काम चलेगा नही? तो मैंने ग्राम सेवक से पूछा कि कैसे काम चलेगा, जिस पर ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश ने मेरे से 10,000/– रूपये रिश्वत के मांगे, व धमकाया कि रिश्वत नही दोगो तो तूम्हारा पूरा काम बिगाड दूंगा, तब मैने डर से उसी समय 10,000/–रूपये ग्राम सेवक को दे दिये। उसने कहा कि बुधवार को निर्माण की इजाजत रसीद कटवा कर पैसे जमा करवा कर ले जाना। बुधवार को मैं ग्राम पंचायत गया तो सरपंच मिला उसने कहा कि ग्राम सेवक से मिल लेना, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत में नही मिला, मैंने ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर 9799766370 पर कॉल किया तो उसने कहा मेरे परिवार में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, मैं 1–2 दिन में ग्राम पंचायत आकर आपसे मिलता हूँ। कल सोमवार को मैं सुबह ग्राम पंचायत गया तो ग्राम सेवक नहीं मिले, उसके बाद शाम साढे छः बजे ग्राम पंचायत जाकर ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो वह ग्राम पंचायत आये, कार्यालय मैं बेठे तथा मेरी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली मुझे दिखाई फाईल के कंवर पर 2,10,000/–रूपये से ज्यादा रूपये पैन से लिखकर रसीद काटने के नाम पर रिश्वत के मांगे, तो मैंने कहा कि इतने तो रसीद के बनते ही नही हैं, तो ग्राम सेवक ने कहा कि फिर आप जानो व सरपंच साहब जाने, मैंने तो अपने हस्ताक्षर एनओसी पर कर दिये। फिर उसने कहा कि तूम कैसे करवाना चाहते हो आप बालो, तब मैने कहा कि मैं तो कानूनी तरीके से काम कराना चाहता हूँ मैं रिश्वत देना नही चाहता हूँ। तब ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश ने कहा कि मैने जो आप से 10,000/–रूपये लिये हैं, उसके अलावा 2,10,000/–रूपये आप सरपंच श्री रामनिवास व मेरे खर्चे के दे दो उसमेंसे जितनी रसीद के होंगे वह हम कटवा देंगे बाकी हम रख लेंगे। तब मैने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नही हैं। मेरे दुकाने निर्माण की स्वीकृति जारी करना जाईज काम हैं, जिसके बदले सरपंच रामनिवास आचार्य व ग्राम सेवक चन्द्रपकाश को रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्की उपरोक्त दोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री सरपंच रामनिवास आचार्य व ग्राम सेवक चन्द्रप्रकाश से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही हैं एवं ना ही कोई व्यक्तिगत का लेन–देन बकाया हैं।

अतः रिपोर्ट मय आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश करता हूँ नियमानूसार कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक :– 17.05.2022

भवदीय,
एसडी
धर्मेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज सोनी
निवासी गौर का चोक, सिवाना,
तह. सिवाना, जिला बाडमेर।
मोबा. 9828823940

एसडी	एसडी	एसडी
(गोविन्द सिंह)	(अयूब खान)	(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
स. प्र.अ.	18.05.2022	17/5/22
18/05/2022		

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.05.2022 समय 11.55 एएम.

इस समय परिवादी श्री धर्मेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी उम्र 36 साल निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "मुझ प्रार्थी धमेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर की और से निवेदन है कि ग्राम सिवाना में बालोतरा रोड पर मेरा प्लॉट आया हुआ हैं, जिसमें तीन दुकानो के निर्माण स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत सिवाना में आज 20 दिन पूर्व आवेदन किया था। उसके बाद में निर्माण स्वीकृति हेतु सरपंच श्री रामनिवास से मिला उसने कहा कि ग्राम सेवक से मिलो। मैं आज से 7 दिन पहले ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश से मिला उसने कहा कि सरपंच साहब ने कहा है कि बिना रूपये के काम चलेगा नहीं? तो मैंने ग्राम सेवक से पूछा कि कैसे काम चलेगा, जिस पर ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश ने मेरे से 10,000/– रूपये रिश्वत के मांगे, व धमकाया कि रिश्वत नही दोगो तो तूम्हारा पूरा काम बिगाड दूंगा, तब मैने डर से उसी समय 10,000/–रूपये ग्राम सेवक को दे दिये। उसने कहा कि बुधवार को निर्माण की इजाजत रसीद कटवा कर पैसे जमा करवा कर ले जाना। बुधवार को मैं ग्राम पंचायत गया तो सरपंच मिला उसने कहा कि ग्राम सेवक से मिल लेना, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत में नही मिला, मैंने ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर 9799766370 पर कॉल किया तो उसने कहा मेरे परिवार में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है, मैं 1–2 दिन में ग्राम पंचायत आकर आपसे मिलता हूँ। कल सोमवार को मैं सुबह ग्राम पंचायत गया तो ग्राम सेवक नहीं मिले, उसके बाद शाम साढे छः बजे ग्राम पंचायत जाकर ग्राम सेवक के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो वह ग्राम पंचायत आये, कार्यालय मैं बेठे तथा मेरी निर्माण स्वीकृति की पत्रावली मुझे दिखाई फाईल के कंवर पर 2,10,000/–रूपये से ज्यादा रूपये पैन से लिखकर रसीद काटने के नाम पर रिश्वत के मांगे, तो मैंने कहा कि इतने तो रसीद के बनते ही नही हैं, तो ग्राम सेवक ने कहा कि फिर आप जानो व सरपंच साहब जाने, मैंने तो अपने हस्ताक्षर एनओसी पर कर दिये। फिर उसने कहा कि तूम कैसे करवाना चाहते हो आप बालो, तब मैने कहा कि मैं तो कानूनी तरीके से काम कराना चाहता हूँ मैं रिश्वत देना नही चाहता हूँ। तब ग्राम सेवक श्री चन्द्रप्रकाश ने कहा कि मैने जो आप से 10,000/–रूपये लिये हैं, उसके अलावा 2,10,000/–रूपये आप सरपंच श्री रामनिवास व मेरे खर्चे के दे दो उसमेंसे जितनी रसीद के होंगे वह हम कटवा देंगे बाकी हम रख लेंगे। तब मैने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नही हैं। मेरे दुकाने निर्माण की स्वीकृति जारी करना जाईज काम हैं, जिसके बदले सरपंच रामनिवास आचार्य व ग्राम सेवक चन्द्रपकाश को रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्की उपरोक्त दोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री सरपंच रामनिवास आचार्य व ग्राम सेवक चन्द्रप्रकाश से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही हैं एवं ना ही कोई व्यक्तिगत का लेन–देन बकाया हैं। अतः रिपोर्ट मय आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश करता हूँ नियमानूसार कानूनी कार्यवाही करावें।" परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री रामचन्द्र सिह कानि. 432. से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्रकुमार को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. 432. का परिवादी श्री धर्मेन्द्रकुमार से आपसी में परिचय करवाया गया।

वक्त 01.00 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्र सिह कानि. 432. को सुपर्द कर परिवादी श्री धर्मेन्द्रकुमार व आरोपी श्री रामनिवास सरपंच व श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सिवाना के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री धर्मेन्द्रकुमार एवं श्री रामचन्द्र सिह कानि. 432 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय हाजा से ग्राम सिवाना के लिए रवाना किया गया।

वक्त 05.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कल दिनांक 18.05.2022 को कार्यालय हाजा के प्रकरण में आरोपीयो की पी.एस. हेतु विचार विमर्श करने हेतु शासन सचिवालय जयपुर राजकार्य से जयपुर जाना है, जिस पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया व हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

वक्त 06.00 पी.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ए.सी.बी. चौकी जोधपुर शहर से उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक को सुपुर्द किये व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 को

मांग सत्यापन करवाने हेतु गांव सिवाना भेजे हुए है जिनके उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया व हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

वक्त 06.10 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 के बाद मांग सत्यापन उपस्थित कार्यालय आने पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 18.05.2022 वक्त 11.50 ए.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि0 432 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आया व श्री रामचन्द्रसिह कानि0 432 ने मन् निरीक्षक पुलिस को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया। श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं 432 ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि "मैं व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार कल दिनांक 17.05.2022 को कार्यालय से रवाना होकर गांव सिवाना में ग्राम पंचायत सिवाना के पास पहुंचे। जहां पर मन् कानि ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे व चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक के बीच मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। दौराने वार्ता आरोपी चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक ने मुझे अपने हाथ की एक अंगुली का ईशारा किया जिस पर मैंने एक लाख का बोला तो उसने गर्दन हिलाकर हां की। जिस पर मैंने खुलासा करते हुए पूछा रसीद कितनी कटेगी उस पर उन्होने 8000 रूपये की रसीद कटना बताया एवं पूर्व में रसीद हेतु पैसे प्राप्त होना स्वीकार किया। मैंने रसीद के पैसे इस एक लाख रूपये से कम कर 92000 रूपये अलग से बचने का कहां तो ग्राम सेवक चन्द्र प्रकाश ने इशारे में हां कहां। परिवादी ने बताया कि आरोपी स्वयं नहीं लेकर उक्त रिश्वति राशि बिचोलिये रणछोड़ के मार्फत लेगा। उपरोक्त हालात मेंने जरिये मोबाईल दिनांक 17.05.2022 को मैने श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये निवेदन किये जिस पर श्रीमान ने अग्रिम कार्यवाही के हालात श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को बताने हेतु निर्देशित किया। निर्देशानुसार दिनांक 18.05.2022 को बिचोलिये रणछोड़ से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाने हेतु मै रात्रि को मुकिम गांव सिवाना में गोपनीय स्थान पर रहा। मैंने आज दिनांक 18.05.2022 को सुबह परिवादी से पुनः सम्पर्क कर बिचोलिये रणछोड़ से वार्ता करवाने हेतु बिचोलिये रणछोड़ के निजी मकान से थोडी दुर पहले डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को रवाना कर स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार वापस आया जिस पर परिवादी से रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने मुझे बताया कि बिचोलिये रणछोड़ ने एक लाख रूपये सरपंच एवं ग्राम सेवक के लिए स्पष्ट रूप से मांगे। जिस पर उपरोक्त हालात आपको जरिये टेलिफोन निवेदन किये तथा आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को रिश्वति राशि 100,000/–रूपये की व्यवस्था कर आज ही कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को गांव सिवाना में छोडकर मै गांव सिवाना से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त दोनो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को बारी–बारी से को सुना गया तो श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 के उपरोक्त कथनो की ताईद हुई। तथा रिश्वति राशि मांग सत्यापन सत्यापन होना पाया गया। उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।

वक्त 12.30 पी.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के नाम पत्र कमांक 992 दिनांक 18.05.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने की तहरीर जारी कर कानि. गणेश नं. 219 को सुपुर्द कर रवाना सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर को किया गया एवं ए.सी.बी. चौकी जोधपुर शहर से श्री प्रभूराम हैड कानि.55, श्री मगराज कानि. 141 को कार्यालय हाजा पर भिजवाने हेतु जरिये दुरभाष निवेदन किया गया।

वक्त 12.55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री प्रभूराम हैड कानि. 55 मय श्री मगराज कानि. 141 के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय परिवादी को देकर परिवादी का परिचय पुछा तो उसने अपना परिचय धर्मेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी उम्र 36 साल निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर होना बताया। परिवादी को उसके पेण्डिग काम के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे गांव सिवाना मे बालोतरा रोड़ पर स्थित मेरे प्लॉट पर दुकानों के निर्माण की

स्वीकृति देने हेतु आरोपीगण मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा परिवादी को रिश्वति राशि मांग सत्यापन के संबंध में पुछा तो परिवादी ने पूर्व में श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 के बताये गये कथनो की ताईद की। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि 100,000/–रूपये की व्यवस्था के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया की रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि 100,000/–रूपये की व्यवस्था करके अपने साथ में लेकर आया हूँ।

वक्त 01.45 पी.एम. पर कानि. गणेश नं. 219 कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से दो स्वतंत्र गवाहान लेकर उपस्थित आया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री मूलसिह जाति राजपूत उम्र 55 पैशा नौकरी निवासी 279 अरिहन्त नगर पाल रोड़ जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर व श्री अयूब खांन पुत्र श्री बाबू खांन जाति पठान मुसलमान उम्र 45 वर्ष पैशा नौकरी निवासी मकान नं. 37 बम्बा बारी गुलजारपुरा पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर हाल सहायक कर्मचारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर होना बताया। जिस पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार का दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया तथा मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत टाईप शुदा रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की टाईप शुदा रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईप शुदा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 17.05.2022 परिवादी धर्मेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, व दिनाक 18.05.2022 को परिवादी धर्मेन्द्र कुमार एवं बिचोलिया रणछोड के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य –मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास में रखा।

वक्त 01.55 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी धर्मेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर ने रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 1,00,000/–रूपये जिसमें 2000–2000 रूपये के 50 नोट अपने पहनी हुई पेंट की जेब से निकालकर प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर फर्द में अंकित कर उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री सुशीला महिला कानि0 103 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी धमेन्द्रकुमार पुत्र श्री जनकराज जाति सोनी निवासी गौर का चौक सिवाना जिला बाडमेर की जामा तलाशी गवाह गोविन्द्रसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 1,00,000/–रूपये के नोट श्री सुशीला महिला कानि0 103 से ही परिवादी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब में रखे नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं, का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9530292476 पर मिस कॉल/कॉल करें अथवा अपना हाथ सिर के बालों पर फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के आदान –प्रदान होने का पता चल जायें। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहा तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि आदान–प्रदान को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक साफ कांच की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कॉच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री सुशीला महिला कानि0 103 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अॅगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथों की अंगुलियों व अॅगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इसके पश्चात् दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार के

उपर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। कॉच की गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व विम पाउडर से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गयें। श्री सुशीला महिला कानि0 103 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये।इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल फोन एवं मन् निरीक्षक पुलिस के पास स्वयं का मोबाईल फोन तथा कुछ आकस्मिक खर्च हेतु 1000 रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित मालखाना मे रखवाया जाकर पाउडर लगाने वाले श्री सुशीला महिला कानि0 103 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय मे छोड़ा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर मुर्तिब कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल रनिग नोट की गई।

वक्त 02.35 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री गोविन्द्रसिह एवं श्री अयूब खांन मय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रभूराम हैड कानि. 55, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री देवाराम कानि. 373, श्री मगराज कानि. 141 श्री प्रकाश कानि. 265, श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक व प्राईवेट वाहन के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव सिवाना के लिए रवाना हुए।

वक्त 08.10 पी.एम पर फिगरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ मय दोनो स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन मय चालको के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आये गोपनीय रूप सें आरोपी अधिकारी का पता कराया गया तों अधिकारी के परिवार में मृत्यु होनें से घर पर ही होना एवं आज कार्यालय में नही आकर कल आनें की संभावना है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को पूर्व मे सुपुर्द रिश्वत राशि 100,000/–रूपये गवाह श्री गोविन्दसिह से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से निकलवाकर उपरोक्त रिश्वत राशि 100,000/–रूपये एक सफेद लिफाफे मे डलवाकर उपरोक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को गवाह श्री गोविन्दसिह के पास रहने दिया गया व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत कर कल दिनांक 19.05.2022 को इसी स्थान पर मिलने की हिदायत कर परिवादी को मय मोटर साईकल के वही पर छोड़कर कार्यालय जोधपुर पहुंचें। श्री गवाह श्री गोविन्दसिह से रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख कर अलमारी की चाबी अपने पास रखी व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को कार्यवाही की गोपनीय बरतने की हिदायत देकर कल दिनांक 19.05.2022 को सुबह 7.15. ए.एम. पर कार्यालय उपस्थित आने हिदायत देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूख्सत किया गया।

दिनांक 19.05.2022 वक्त 07.35 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन एवं श्री प्रेमसिह कानि चालक कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। वक्त 07.50 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरों स्टाफ मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री व रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा अलमारी से निकलवाकर गवाह श्री गोविन्दसिह को सुपुर्द कर मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव सिवाना के लिए रवाना हुए।

वक्त 07.00 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आये। वक्त 10.00 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन मय हमराहियान जाब्ता मय

सरकारी वाहन के पूर्व निर्धारित स्थान गांव सिवाना के पुलिस थाना के पास पहुंचे जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय अपनी निजी मोटर साईकल के उपस्थित मिला जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द्रसिह को पूर्व में सुपुर्द शुदा रिश्वती राशि 100,000/–रूपये के लिफाफे में से रिश्वति राशि 100,000/–रूपये स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दसिह से निकलवाकर रिश्वति राशि 100,000/–रूपये परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब में रखवाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दसिह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकल से आरोपी का गोपनीय रूप से अपने कार्यालय मे होने का पता करने की हिदायत कर ग्राम पंचायत सिवाना की तरफ रवाना किया गया इनके पिछे–पिछे मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय सरकारी वाहन के छुपाव रखतें हुए मुकीम रहे। वक्त 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश के कार्यालय में आने बाबत् गोपनीय रूप से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालूम कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी आज अपने कार्यालय में आने की कोई संभावना नही है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लेकर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को पूर्व मे सुपुर्द रिश्वत राशि 100,000/–रूपये गवाह श्री गोविन्दसिह से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से निकलवाकर उपरोक्त रिश्वत राशि 100,000/–रूपये एक सफेद लिफाफे मे डलवाकर उपरोक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को गवाह श्री गोविन्दसिह के पास रहने दिया गया व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत की गयी कि आईन्दा आरोपी के कार्यालय में उपस्थित आने पर मन् निरीक्षक पुलिस को सूचित करावें एवं परिवादी को मय उसकी मोटरसाईकिल के वही पर छोड़कर कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचे। श्री गवाह श्री गोविन्दसिह से रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख कर अलमारी की चाबी अपने पास रखी व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को कार्यवाही की गोपनीय बरतने की हिदायत देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। वक्त 07.08 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक कल दिनांक 20.05.2022 को अपने कार्यालय में आयेगा। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 20.05.2022 को समय 10.30 ए.एम पर सिवाना थाने से 200 मीटर आगे समदडी रोड़ उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को कल दिनांक 20.05.2022 को सुबह 8.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 20.05.2022 वक्त 07.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान व मन् निरीक्षक पुलिस व ब्यूरों स्टाफ मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री व रिश्वति राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा अलमारी से निकलवाकर गवाह श्री गोविन्दसिह को सुपुर्द कर मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव सिवाना के लिए रवाना हुए।

वक्त 10.38 ए.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय वाहन के पूर्व निर्धारित स्थान गांव सिवाना के बाहर पुलिस थाना सिवाना के पास पहुंचे जहा पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय अपनी निजी मोटर साईकल के उपस्थित आया जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द्रसिह को पूर्व में सुपुर्द शुदा रिश्वती राशि 100,000/–रूपये के लिफाफे में से रिश्वति राशि 100,000/–रूपये स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दसिह से निकलवाकर रिश्वति राशि 100,000/–रूपये परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट के पिछे की दाहिनी जेब में रखवाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दसिह के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये।

वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकल से आरोपी का गोपनीय रूप से अपने कार्यालय मे होने का पता करने की हिदायत कर ग्राम पंचायत सिवाना की तरफ रवाना किया गया इनके पिछे–पिछे मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय वाहन के रवाना होकर ग्राम पंचायत सिवाना के पास पहुच वाहन को सडक के किनारे खडा

करवाकर ग्राम पंचायत सिवाना आस पास गोपनीय रूप से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. के वापिस आने के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकल के मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा गोपनीय रूप से पता करने पर मालुम हुआ कि आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पंचायत समिति सिवाना आया हुआ है। परिवादी धर्मेन्द्र कुमार ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरोपी चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक मुझसे रिश्वत राशि पंचायत समिति सिवाना में प्राप्त कर लेगा, जिस पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को पंचायत समिति सिवाना में आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक के पास भेजने का निर्णय लेकर श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर मय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी मोटर साईकल से आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश से रिश्वती राशि लेन–देन हेतु पंचायत समिति सिवाना रवाना कर उनके पिछे–पिछे मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय सरकारी वाहन से रवाना होकर ग्राम पंचायत समिति सिवाना के पास पहुँच वाहन को सड़क के किनारे खडा करवाकर पंचायत समिति सिवाना के आस पास मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के गोपनीय रूप से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 12.45 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार बिना कोई गोपनीय ईशारा किये पंचायत समिति सिवाना से मय कानि. रामचन्द्रसिह के जरिये अपनी निजी मोटरसाईकल से मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये और बताया कि रिश्वत राशि का लेनदेन नहीं हुआ है जिस पर उनको ग्राम पंचायत सिवाना के पास गोपनीय स्थान मिलने के निर्देश देकर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि.432 को मोटरसाईकल से रवाना किया गया।

वक्त 12.50 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय सरकारी वाहन से रवाना होकर ग्राम पंचायत सिवाना के पास गोपनीय स्थान पहुच वाहन को सडक के किनारे खडा करवाया गया जहा पर श्री रामचन्द्रसिह कानि.432 मय परिवादी के उपस्थित मिले तथा श्री रामचन्द्रसिह कानि.432 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया की मैने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को पंचायत समिति सिवाना से थोडी दुर पहले डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी को ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश से रिश्वती राशि लेन–देन करने हेतु पंचायत समिति सिवाना रवाना कर मै पंचायत समिति सिवाना के सामने गोपनीय रूप अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के गोपनिय ईशारे के ईन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार बिना कोई गोपनीय ईशारा किये मेरे पास आया व हम वहा से रवाना होकर आपके निर्देशानुसार यहॉ पर आये। परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मैने स्विच ऑफ कर अपने पास रखा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से आरोपी से रिश्वति राशि लेन–देन के संबंध में पुछा तो परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया मै पंचायत समिति सिवाना में गया जहा पर आरोपी ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश पंचायत समिति सिवाना में उपस्थित मिला जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता मैने ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश को रिश्वति राशि देने का कहा तो ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा की दो घण्टे बाद में ग्राम पंचायत सिवाना आ रहा हूँ वही पर मिलुंगा। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा अपने पास रखा एवं आरोपी के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकल से आरोपी के ग्राम पंचायत सिवाना में आने का पता लगाने हेतु रवाना ग्राम पंचायत सिवाना की तरफ किया गया। वक्त 02.35 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार मय श्री रामचन्द्रसिह कानि. को परिवादी की निजी मोटर साईकल के मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा गोपनीय रूप से पता करने पर आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश पंचायत समिति सिवाना से रवाना होकर पादर्ली ग्राम पंचायत गया है जो करीब दो घण्टे बाद अपने ग्राम पंचायत कार्यालय आयेगा। वक्त 04.39 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर मय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी मोटर साईकल से ग्राम पंचायत सिवाना पर आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश या बिचोलिया रणछोड़ से रिश्वती राशि लेन–देन हेतु रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के गोपनिय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

वक्त 04.43 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार बगैर कोई गोपनीय ईशारा किये मय कानि. रामचन्द्रसिह 432 के परिवादी की निजी मोटर साईकल से मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। श्री रामचन्द्रसिह कानि.432 ने डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया की ग्राम पंचायत सिवाना से थोडी

दुर पहले मैने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द किया तथा मै ग्राम पंचायत सिवाना के पास परिवादी के गोपनिय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहा कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया जिस पर मैंने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मै ग्राम पंचायत सिवाना के अन्दर गया जहा पर आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश अभी तक नहीं आया तथा बिचोलिया रणछोड़ वहां पर उपस्थित मिला जिससे मैने आरोपी चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक से बात होने बाबत् पूछा तो उसने बताया कि मेरे से आज आपके कार्य से सम्बन्धित कोई बातचीत नहीं हुई है। आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक के मोबाईल पर बातचीत करने हेतु कहने पर कहां कि मुझे मना किया है । रणछोड़ ने मुझे बताया कि मैंने एक बार श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक को फोन लगाया तो उन्होने कहा कि मैं स्वयं आ जाउगा मुझे पता है कि कितने साईन करना बाकि है। ग्राम सेवकजी के आने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी धर्मेन्द्र कुमार को आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक के आने का पता लगाने हेतु ग्राम पंचायत के आस पास रहने हेतु रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान के आरोपी चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक के आने के इंतजार में मुकीम रहे।

वक्त 06.20 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने गोपनीय सुत्र से पता कर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम सेवक अपने कार्यालय ग्राम पंचायत सिवाना में आ गया है। जिस पर कानि. रामचन्द्रसिह डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत कि गई की ग्राम पंचायत सिवाना से थोडी दुर पहले डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालुकर परिवादी को सुपुर्द करे व कानि. रामचन्द्रसिह मय परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को परिवादी की निजी मोटरसाईकल से ग्राम पंचायत सिवाना रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ग्राम पंचायत सिवाना के आस–पास गोपनीय रूप अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनिय इशारे के ईन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 07.00 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार बिना कोई गोपनीय ईशारा किये ग्राम पंचायत सिवाना से मय कानि. रामचन्द्रसिह के जरिये अपनी निजी मोटरसाईकल से मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये व श्री रामचन्द्रसिह कानि.432 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया की मैने परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को ग्राम पंचायत सिवाना से थोडी दुर पहले डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर परिवादी को ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश से रिश्वती राशि लेन–देन करने हेतु रवाना कर मै ग्राम पंचायत सिवाना के सामने गोपनीय रूप अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के गोपनिय ईशारे के ईन्तजार में मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार बिना कोई गोपनिय ईशारा किये मेरे पास आया व मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दिया जिसे मैने स्विच ऑफ कर अपने पास रखा तथा वहॉ से रवाना होकर आपके पास आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से आरोपी से रिश्वति राशि लेन–देन के संबंध में पुछा तो परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया मै ग्राम पंचायत सिवाना में गया जहा पर आरोपी ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश अपने कार्यालय में उपस्थित मिला जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता मैने ग्राम सेवकजी को रिश्वत राशि देने हेतु कहा तो उन्होने रिश्वत राशि नहीं लेने का ईशारा कर वहीं बैठे रहने को कहा तथा मैने ग्राम सेवकजी से रिश्वति राशि रणछोड़ को देने हेतु निवेदन किया तो उन्होने कोई जबाव नहीं दिया। ग्राम सेवक श्री चन्द्र प्रकाश ने मुझे कहा कि कल दिनांक 19.05.2022 को किसी ने ग्राम पंचायत के सामने बन रही सड़क के सम्बन्ध में कलक्टर को शिकायत कर दी है, जिसका शक वो मेरे उपर कर रहे है, जिस पर मैने उनसे कहा मेरे इकलौते लड़के की सौगंध, मुझे शिकायत की कोई जानकारी नहीं है। मैने वार्ता के अंत में पुनः रिश्वति राशि देने का निवेदन किया जिस पर चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवकजी ने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी द्वारा कहीं बात हुबहू पायी गयी।उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने मुझे बताया कि मुझे लगता है कि आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक व प्राईवेट व्यक्ति रणछोड़ मुझसे अब रिश्वत राशि नहीं लेगें।

वक्त 07.20 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को पूर्व मे सुपुर्द रिश्वत राशि 100,000/–रूपये गवाह श्री गोविन्दसिह से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की पहनी हुई जिंस पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से निकलवाकर उपरोक्त रिश्वत राशि 100,000/–रूपये एक सफेद लिफाफे मे डलवाकर उपरोक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को गवाह श्री गोविन्दसिह के पास रहने दिया गया व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकरं परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को मय मोटरसाईकिल के वही पर छोड़कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय अति.

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर को रवाना हुए। वक्त 10.00 पी.एम. पर फिकरा उपरोक्त के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आये व श्री गवाह श्री गोविन्दसिह से रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिश्वती राशि 100,000/–रूपये का लिफाफा एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख कर अलमारी की चाबी अपने पास रखी व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को कार्यवाही की गोपनीय बरतने की हिदायत देकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 26.05.2022 वक्त 10.25 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री गोविन्दसिह व श्री अयूब खांन कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार कार्यालय उपस्थित आया एवं एक लिखित रिपोर्ट मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश की उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक व श्री रणछोड़ प्राईवेट व्यक्ति मुझसे रिश्वत लेने से डर रहे है और आरोपीगण को अब एसीबी की कार्यवाही की भनक भी लग गई जिससे श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक व श्री रणछोड़ प्राईवेट व्यक्ति मुझसे रिश्वत नहीं लेगें इसलिए अब अग्रीम कार्यवाही होना संभव नही है। उक्त रिपोर्ट को बाद अवलोकन शामिल रानिंग नोट किया गया।

वक्त 10.50 ए.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सिवाना के मध्य दिनांक 17.05.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप एवं परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री रणछोड (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया के मध्य दिनांक 18.05.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालापो की दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालापो की श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। दिनांक 17.05.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप में परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सिवाना की होना बताया तथा दिनांक 18.05.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप में परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज श्री रणछोड (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की चार सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयो की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई चारो सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 01:00 पी.एम. पर परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री रणछोड (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया के मध्य दिनांक 20.05.2022 रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व एक बार हुई रूबरू वार्तालाप तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सिवाना के मध्य दिनांक 20.05.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व रूबरू दो बार हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालापो की दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व रूबरू दो बार हुई वार्तालाप में परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सिवाना की होना बताया एवं रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व एक बार हुई रूबरू वार्तालाप में परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज श्री रणछोड (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ताओ की चार सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयो की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई चारो सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में

इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 04:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार की कार्यवाही में कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण गवाहान श्री गोविन्दसिह एवं श्री अयूब खांन एवं परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार को कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के गांव सिवाना में बालोतरा रोड़ पर स्थित प्लॉट पर दुकानों के निर्माण की स्वीकृति देने की एवज में परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक द्वारा अपने हाथ की एक अंगुली का ईशारा कर एक लाख रूपये की रिश्वति राशि की मांग करना तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से श्री रणछोड़ (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया द्वारा एक लाख रूपये रिश्वति राशि सरपंच एवं श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक के लिए स्पष्ट रूप से मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।दिनांक 20.05.2022 को सिवाना गॉव वालों द्वारा गांव सिवाना में सड़क निर्माण के संबंध में जिला कलेक्टर से आरोपी ग्राम सेवक की शिकायत हो जाने से व उक्त शिकायत के संबंध में परिवादी पर शक हो जाने के कारण आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त नही की गई है।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत सिवाना जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार के में गांव सिवाना मे बालोतरा रोड़ पर स्थित प्लॉट पर दुकानों के निर्माण की स्वीकृति देने के एवज में 100,000/–रूपये रिश्वत राशि अवैध तरीके से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध परितोषण ग्रहण करने की नियत से मांग करना तथा श्री रणछोड़ (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिय द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार से सरपंच एवं श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम सेवक के लिए एक लाख रूपये रिश्वति राशि अवैध तरीके से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध परितोषण ग्रहण करने की नियत से मांग करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री हजारीमल मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी ग्राम पोस्ट महिलावास तहसील सिवाना जिला बाडमेंर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिवाना जिला बाडमेर एवं श्री रणछोड़ कुमार पुत्र श्री खीमाराम जाति जीनगर उम्र 30 वर्ष निवासी मोचियो का बास सिवाना जिला बाडमेर (प्राईवेट व्यक्ति) बिचोलिया के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवम 120 बी भा.द.स.में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गासिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री हजारीमल मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिवाना, जिला बाड़मेर एवं 2. श्री रणछोड़ कुमार पुत्र श्री खीमाराम (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी मोचियों का बास, सिवाना जिला बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 351/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3050-54 दिनांक 8.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बाड़मेर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

8.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।